

बिहार BIHAR



35 : सा. 16/4/16 वा. 11:30 एम. एम रहमानी वा. एड कॉलेज
 पिसा पति सा 0 दा मोडरपुर पो P.S. 473391
 हा मो -100 का न्याय देवा
 कति बोरा -100x) =100)
 सुदामा मुखर्जी
 सुदामा मुखर्जी महता
 सुदामा मुखर्जी, तेयका
 का. नं. 5/83 इ०

12183
 2014116

Affidavit

I, Mohmmmed Imran son of Md. Anwar Rahmani Resident of Vill- Damodarpur, Dist- Begusarai, Bihar and Director of M.A.Y.A Charitable Trust certify that I have been authorized by the Management of the above mentioned institution to give this Affidavit on behalf of the institution, which at present offers B.Ed. course of 2 year duration, File Code No. ERCAPP1543 with an annual intake of 2 Units i.e. 100 seats. It is further certified that the Management has studied the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 carefully and has understood their



implications for the existing Teacher Education Institutions offering NCTE recognized teacher education programme(s).

2. I convey my willingness for two units of the proposed D.El.Ed. course .

3. Further, I have been authorized by the Management to state that the institution shall fulfill the revised Norms relating to infrastructure, instructional facilities, enhanced amount of Endowment and Reserve Funds, Number and qualifications of Teaching Staff, Curriculum and implementation strategies, in view of the change in duration / intake of the programme(s) offered in the institution within the time limit allowed by NCTE.

Md. Imaz
20/4/16

Signature
Name and Designation

Please _____

Date _____




P Singh

NOTARY
TEGHRA BEGUSARAI (BIHAR)
Authorized u/s 297 (1)(C) of Cr.P.C
& (1) (a) of The Notaries Act, and
u/s 139 (aa) of C. P. C. 1908.
Affidavit No. 12183 Date 20/4/16

I identify the deponent
who has signed/L.T.I. here
in my Presence

Manoj Kumar Singh
20/4/16
Advocate
Regd No-2201/99



पत्रांक : टी.टी.प्रे. 1406/2017
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
 पटना-17

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
 एम.एम. रहमानी बी.एड. कॉलेज,
 दामोदरपुर, बेगुसराय।

पटना, दिनांक 26/9/2017

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर उड़ीसा के ERCAPP2503, दिनांक 02.05.2016 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी :-

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन-2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-2.2 (ac) में निहित प्रावधानों; यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका-2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।



8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
 9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
 10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
 11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
 12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
 13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
 14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
 15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
 16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित बी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
 17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 01 यूनिट (50) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1406, पटना, दिनांक 26/9/2017
 प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1406, पटना, दिनांक 26/9/2017
 प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17